(6)

उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (सामान्य) अनुभाग-4
संख्या-सा-4- 8/दस-98-59/8।
लखनऊ: दिनांक: 7 अगस्त, 1998

विज्ञप्ति

जनरल प्राविडेन्ट फण्ड (उ0प्र0) नियमावली, 1985 के नियम-11(1), कान्ट्रीब्युट्री प्राविडेन्ट फण्ड (उ0प्र0) रूल्स के नियम-11(1) तथा कान्ट्रीब्युट्री प्राविडेन्ट फण्ड पेंशन इन्श्योरेन्स रूल्स, 1948 के नियम-9 के प्राविधानों के अनुसार राज्यपाल महोदय घोषित करते हैं कि जनरल प्राविडेन्ट फण्ड (उ0प्र0) कान्ट्रीब्युट्री फण्ड (उ0प्र0) तथा उत्तर प्रदेश कान्ट्रीब्युट्री प्राविडेन्ट पेंशन-इन्श्योरेन्स फण्ड में अभिदाताओं (सब्सकाइबर्स) द्वारा वित्तीय वर्ष 1998-99 में जमा की गई तथा उनके नाम अवशेष पर ब्याज की दर सभी खातों में जमा कुल राशि पर 12% (बारह प्रतिशत) प्रतिवर्ष होगी। यह दर 01 अप्रैल, 1998 से प्रारम्भ होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान लागू होगी।

2- ब्याज की गणना हेतु एक सदयोगणक (रेडीरेकनर) संलग्न है।

(सुधील चन्द्र त्रिपाठी)
(सुधील चन्द्र त्रिपाठी)
प्रमुख सचिव, वित्त

संख्या सा-4-8(1)/दस-98-59/8। तद्दिनांक

प्रतिलिपि अंग्रेजी अनुवाद सहित निदेशक, मुद्रण लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को इस अनुयुक्ति के साथ प्रेषित कि वे कृपया इस विज्ञप्ति को सरकारी गजट के अगले अंक में प्रकाशित कर दें।

आज्ञा से,

(शिव प्रकाश)
(शिव प्रकाश)
संयुक्त सचिव, वित्त

—2—

संख्या सा—1—8§11§/दस—98—57/8 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1— महालेखाकार, लेखा प्रथम व द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2— सचिव, विधान सभा/परिषद्, उ0प्र0, लखनऊ।
3— सचिवालय के समस्त अनुभाग।
4— निदेशक, वित्त एवं लेखा प्रशिक्षण संस्थान 22/3, इन्दिरानगर, लखनऊ।
5— समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
6. [illegible]

आज्ञा से,

§ शिव प्रकाश §
संयुक्त सचिव।

भविष्य निर्वाह निधि में जमा अवशेष पर ब्याज के आगणन हेतु तद्‌योगणक

वर्ष 1998–99	ब्याज की दर 12 प्रतिशत ब्याज (समये)	वर्ष 1998–99	ब्याज की दर 12 प्रतिशत ब्याज (समये)
1	2	3	4
1–	0·12	800	96·00
2–	0·24	900	108·00
3–	0·36	1,000	120·00
4–	0·48	2,000	240·00
5–	0·60	3,000	360·00
6–	0·72	4,000	480·00
7–	0·84	5,000	600·00
8–	0·96	6,000	720·00
9–	1·08	7,000	840·00
10–	1·20	8,000	960·00
20–	2·40	9,000	1,080·00
30–	3·60	10,000	1,200·00
40	4·80	20,000	2,400·00
50–	6·00	30,000	3,600·00
60–	7·20	40,000	4,800·00
70–	8·40	50,000	6,000·00
80–	9·60	60,000	7,200·00
90–	10·80	70,000	8,400·00
100–	12·00	80,000	9,600·00
200–	24·00	90,000	10,800·00
300–	36·00	1,00,000	12,000·00
400–	48·00		
500–	60·00		
600–	72·00		
700–	84·00		

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH
FINANCE (GENERAL) SECTION-4
No. G-4-G.I.8/X-98-59/81
Dated/Lucknow 7 [illegible] 1998

NOTIFICATION
Miscellaneous

In accordance with the provisions of Rule 11 (1) of the General Provident Fund, U.P. Rules, 1985, Rule 11 (1) of the Contributory Provident Fund (U.P.) Rules and Rule 9 of the U.P. Contributory Provident Fund Pension Insurance Rules, 1948 the Governor is pleased to announce that the rate of interest of deposits and also the balance of the credit of the subscribers to General Provident Fund (U.P.) Contributory Provident Fund (U.P.) and the U.P. Contributor Provident Pension Insurance Fund shall be 12 Percent (Twelv Percent) per annum during the financial Year 1998-99 on al accounts. This rate shall be in force during the Financia Year beginning on April 01, 1998.

2- A ready reckoner for calculation of interest is enclosed.

By Order,

(Sushil Chandra Tripathi
Pramukh Sachiv Vitta